न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध प्रार्थना पत्र संख्या 10/2023 (2023/42)

प्रार्थी :–

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सुनील कुमार प्रजापत पुत्र श्री सुखदेव प्रजापत निवासी 108 बलदेव नगर आखलिया चौराहा जोधपुर।
2. सुनिल कुमार विश्नोई पुत्र श्री चतुराराम विश्नोई निवासी भाटेलाई पुरोहितान बालेसर जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, के तहत सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के क्रम में।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अधिवक्ता नरपत सिंह किशनावत एवं विजय सैन (अप्रार्थीपक्ष की ओर से)

–: आदेश :– दिनांक :– 27.06.2024

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 695 दिनांक 05.04.2023 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी महिमा जैन, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश करते हुए जाहिर किया कि दिनांक 01.03.2023 को पुलिस थाना रातानाडा से प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी महोदय के मौखिक आदेशानुसार जसोल हाउस के सामने हरिजन बस्ती रातानाडा जोधपुर में मय टीम द्वारा पहुंचा गया जहां मौके पर सुनील कुमार पुत्र श्री सुखदेव तथा सुनील कुमार पुत्र श्री चतुराराम विश्नोई परिसर में मौजूद थे तथा अवैध गैस रिफिलिंग संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। उक्त परिसर में मौजूद वैन संख्या आरजे

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

14 यूबी 2571 में 14 घरेलु गैस सिलेण्डर, परिसर में स्थित कमरे में 4 घरेलु सिलेण्डर तथा 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर, परिसर में एक अन्य कमरे में 2 घरेलु गैस सिलेण्डर, 2 इलेक्ट्रिक कांटे, एवं रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली मोटर मय पाईप मिले जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	नम्बर	टंकी का वजन (कि.ग्रा.) मे	कुल वजन (कि.ग्रा.) मे	गैस का वजन (कि.ग्रा.) मे
1	भारत गैस	589448 e	15.7	29.9	14.2
2	भारत गैस	250349 s	15.7	29.9	14.2
3	भारत गैस	514465 s	16.1	30	13.9
4	भारत गैस	085081 t	15.2	29.4	14.2
5	भारत गैस	409459 s	15.4	29.6	14.2
6	भारत गैस	175592 b	15.6	29.8	14.2
7	भारत गैस	115460 b	15.5	29.7	14.2
8	भारत गैस	402444 s	16.0	30.2	14.2
9	भारत गैस	456915 s	15.3	29.5	14.2
10	भारत गैस	780411 s	15.4	29.6	14.2
11	भारत गैस	2496119i	15.3	29.5	14.2
12	भारत गैस	204340 b	15.5	29.7	14.2
13	भारत गैस	954926 s	15.7	29.9	14.2
14	भारत गैस	240049 t	15.9	30.1	14.2
15	भारत गैस	526922 s	15.5	29.7	14.2
16	भारत गैस	43380 s	15.4	15.4	0
17	भारत गैस	208536 t	15.4	15.4	0
18	भारत गैस	133592 s	15.5	15.5	0
19	भारत गैस	324216 s	15.1	28.0	12.9

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

20	एचपी	420135 t	15.8	15.8	0
21	एचपी (वाणिज्यिक)	16741 i	19.4	19.4	0
22	भारत गैस (वाणिज्यिक)	63006 t	19.7	19.7	0

उपरोक्त वर्णित गैस सिलेण्डरों मय अन्य सामान को जब्त सरकार किया जाकर श्री हरि सिंह पुत्र श्री देवीदान उम्र 63 वर्ष जाति चारण हाल मैनेजर वीर शिव गैस एजेन्सी भाटिया चौराहा जोधपुर को सूपूर्द किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त जब्तशुदा घरेलु एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों से अवैद्य रूप से रिफिलिंग करना द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्तसुदा 20 घरेलु गैस सिलेण्डर, 2 वाणिज्यिक सिलेण्डर, 2 इलेक्ट्रानिक कांटा व 1 रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली मोटर मय पाईप व वैन रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 14 यूबी 2571 को राजसात करने एवं गैस सिलेण्डरों में प्रयुक्त एल.पी.जी. गैस का अंतरिम निस्तारण करने की प्रार्थना की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता नरपत सिंह किशनावत एवं श्री विजय सैन ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी व अप्रार्थीपक्ष अधिवक्ता की ओर से दिनांक 13.06.2024 को बहस सुनी गई। पत्रावली दिनांक 27.06.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी महिमा जैन प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि दिनांक 01.03.2023 को जसोल हाउस के सामने हरिजन बस्ती रातानाडा जोधपुर में अवैध गैस रिफिलिंग संबंधी गतिविधियां संचालित किया जाना पाया गया जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गई थी। वक्त जांच परिसर में मौजूद वैन में 14 घरेलु गैस सिलेण्डर, परिसर में स्थित कमरे में 4 घरेलु व 2 वाणिज्यिक सिलेण्डर व अन्य कमरे में 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जिनमें एक पर रिफिलिंग हेतु जुड़ी हुई मोटर पाई गई। वक्त जांच अप्रार्थी को पर्याप्त समय दिया गया तथा गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में वैन चालक से पुछताछ की गई किन्तु कार्यवाही के दौरान पर्याप्त

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

समय देने के उपरान्त भी वैन में रखे घरेलु गैस सिलेण्डर (14) के संदर्भ में वैन चालक द्वारा किसी प्रकार के विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये ना ही किसी प्रकार का कोई संतोषजनक उत्तर दिया गया। परिसर में वक्त मौका अवैध गैस रिफिलिंग सम्बन्धी गतिविधियां संचालित हो रही थी इससे स्पष्ट होता है कि वैन में रखे सिलेण्डर भी अवैध गैस रिफिलिंग सम्बन्धी गतिविधियों में प्रयुक्त होने थे। वक्त मौका किसी भी प्रकार के सिलेण्डरों के संदर्भ में विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर मौके पर मौजूद गैस सिलेण्डरों तथा अवैध गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को जब्त सरकार किया गया।

अप्रार्थीपक्ष अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर बतलाया कि अप्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में बिल्कुल झूठा फंसाया गया है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई किसी प्रकार का अपराध बनना नहीं पाया जाता है। जिला रसद टीम द्वारा उपरोक्त कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्व कतई दूषित है। अप्रार्थी सुनिल कुमार विश्नोई वाहन संख्या आरजे 14 यूबी 2571 का चालक होने के कारण मात्र झूंठा फंसाने हेतु उक्त प्रकरण में लिप्त किया गया है तथा अप्रार्थी श्री जम्भेश्वर भगवान परमार्थ न्याय (ट्रस्ट), विश्नोई धर्मशाला, जोधपुर के लिए उपरोक्त वाहन में 15 भरे हुए गैस सिलेण्डर लेकर जा रहा था तथा उपरोक्त वाहन में खराबी होने के कारण अप्रार्थी द्वारा वाहन को ठीक करवाने हेतु जसोल हाउस के सामने, हरीजन बस्ती, रातानाडा जोधपुर के पास मैकेनिक से वाहन को ठीक करवा रहा था जहां पर रसद टीम द्वारा अप्रार्थी को दस्तियाब कर झूंठा प्रकरण बनाया गया है तथा पत्रावली पर पेश नजरी नक्शा बरामदगी स्थल के अवलोकन से भी स्पष्ट जाहीर है कि अप्रार्थी की मारूती वैन जिसमें गैस सिलेण्डर भरे हुए पाये दर्शाया गया है अर्थात अप्रार्थी वहां अवैध रिफिलिंग में सम्मिलित नहीं था। इसी दस्तावेज के अवलोकन से जाहीर है कि यहां पर मिस्त्री रहता है जहां पर उपरोक्त वाहन को ठीक करवाया जा रहा था। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इस्तगासा के पैरा संख्या 1 के अवलोकन से भी स्पष्ट जाहिर है कि अप्रार्थीगण परिसर में मौजूद होने का उल्लेख है लेकिन उनके द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग की गतिविधि में शामिल होने का कोई उल्लेख नहीं है फिर भी रसद टीम द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व झूंठा प्रकरण दर्ज किया गया है। परिवाद के पैरा संख्या 2 की सारणी के क्रम संख्या 1 से 15 भरे हुए गैस सिलेण्डर जो कि भारत गैस कम्पनी के थे, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा गैस कनेक्शन जारी होने की रसीद , गैस पासबुक, दिनांक 01.03.2023 का देव

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

गैस एजेन्सी का 15 भरे हुए गैस सिलेण्डरों का बिल एवं गैस पासबुक में उक्त 15 भरे हुए गैस सिलेण्डरों की डिलीवरी देने का उल्लेख होने से साक्ष्य संबंधित दस्तावेज पेश किये जा चुके है जिससे साफ जाहीर होता है कि अप्रार्थी द्वारा कोई किसी प्रकार के अवैध गैस सिलेण्डर की रिफिलिंग में लिप्त नहीं है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को उपरोक्त 15 गैस सिलेण्डर बावत दस्तावेज पेश करने हेतु समय नहीं दिया जाकर आनन फानन में कार्यवाही पेश कर दी गई तथा अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त दस्तावेज पेश करने हेतु निवेदन करने के बावजूद भी जिला रसद अधिकारी द्वारा अप्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं लिये जाकर अप्रार्थीगण को बिल्कुल ही झूंठा फंसाया गया है। अप्रार्थी सुनिल कुमार विश्नोई का उपरोक्त 15 भरे हुए गैस सिलेण्डरों के अलावा अन्य रिफिलिंग एवं सिलेण्डरो से कोई किसी प्रकार का लेना–देना नहीं है फिर भी रसद अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को अवैध रिफिलिंग की कार्यवाही में लिप्त किया जाकर झूंठा फसाया गया है। रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा जब्त किये गये भरे हुए भारत गैस के सिलेण्डर जो जम्भेश्वर भगवान परमार्थ न्यास (ट्रस्ट) विश्नोई धर्मशाला जोधपुर जो गणेश चौक रातानाडा में स्थित है, सचांलित हो रही है, के है। उक्त गैस सिलेण्डर से धार्मिक कार्यक्रम, धमार्थ कार्य एवं समाज-के गरीब व पिछड़े लोगो के लिए भोजन व चाय की इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। उक्त सिलेण्डर जब्त होने के कारण ट्रस्ट जो धार्मिक एवं परमार्थ कार्य करती है वे पूर्णतया ठप हो गये है इसलिए न्यायहित एवं धमार्थ हित में उक्त जब्त 15 गैस सिलेण्डर छोडा जाना न्यायोचित होगा जिससे ट्रस्ट की भोजन व्यवस्था इत्यादि नियमित रूप से संचालित हो सके। प्रकरण में अप्रार्थी सुनिल कुमार प्रजापत को भी कतई झूंठा फंसाया गया है बरामद सिलेण्डर, इलेक्ट्रिक कांटे एवं रिफिल में प्रयुक्त होने वाले मोटर पाईप इत्यादि सामान का अप्रार्थी सुनिल कुमार प्रजापत एवं अप्रार्थी सुनिल कुमार विश्नोई का कोई लेना देना नहीं है। बहस के अन्त में अप्रार्थीपक्ष अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण के विरूद्व की गई सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त की जाकर जब्त किये गये 15 गैस सिलेण्डर जो जम्भेश्वर भगवान परमार्थ न्यास (ट्रस्ट) विश्नोई धर्मशाला जोधपुर के है, को रिलीज किये जान की प्रार्थना की।

चूंकि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मारूती वैन आरजे 14 यूबी 2571 को जमानतनामा एवं सूपूदर्गीनामे पर न्यायालय आदेश दिनांक 17.11.2023 द्वारा पूर्व में रिलीज किया जा चुका है। अतः प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा घरेलु एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर मय अन्य सामान का निस्तारण किया जा रहा है। हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीपक्ष का मुख्य कथन यह है कि वक्त जांच परिसर में मौजूद वैन में 14 घरेलु गैस सिलेण्डरों के अतिरिक्त परिसर में स्थित कमरे में 04 घरेलु व 02 वाणिज्यिक सिलेण्डर, व अन्य कमरे में पायें गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर के दस्तावेज के संदर्भ में वैन चालक द्वारा किसी भी प्रकार के विधिक दस्तावेज पेश नहीं किये गये और ना ही किसी प्रकार का संतोषजनक उत्तर दिया गया। वैन में रखे सिलेण्डर भी अवैध गैस रिफिलिंग सम्बन्धी गतिविधियों में प्रयुक्त होने थे। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि श्री जम्भेश्वर भगवान परमार्थ न्याय (ट्रस्ट), विश्नोई धर्मशाला, गणेश चौक, रातानाडा, जोधपुर के नाम से दिनांक 21.07.2018 को 10 नग एवं दिनांक 04.12.2020 को 05 नग घरेलु गैस सिलेण्डर का कनेक्शन जारी किया गया। दिनांक 01.03.2023 को देव गैस सर्विस जोधपुर द्वारा 15 गैस टंकियो का बिल बाउचर तथा उपभोक्ता के पास उपलब्ध गैस डायरी भी पेश की गई है। अतः प्रार्थीपक्ष का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा परिसर में मौजूद वैन में 14 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं परिसर में अवैध गैस रिफिलिंग सम्बन्धी गतिविधियां संचालित की जा रही थी चूंकि परिसर में मौके से वैन में 14 गैस टंकिया जब्त की गई है। अतः मौका फर्द रिपोर्ट के आधार पर 14 घरेलु गैस टंकियों को ही रिलीज किया जाना न्यायोचित है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि मौके पर मौजूद वैन में 14 घरेलु गैस सिलेण्डरों के साथ–साथ परिसर में स्थित एक कमरे में 4 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर, परिसर में एक अन्य कमरे में 2 घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये जिनमें एक पर रिफिलिंग हेतु जुडी हुई मोटर पाई गई तथा इसके अतिरिक्त 2 ईलेक्ट्रिानिक कांटा व एक रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली मोटर-मय पाईप मिले। उक्त जब्तशुदा 08 गैस सिलेण्डरों के कोई वैद्य कागजात पेश नहीं किये गये है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सुनिल कुमार प्रजापत द्वारा गैस सिलेण्डर से अन्य सिलेण्डरों में गैस भरने का अवैध कृत्य किया जा रहा था। अप्रार्थी सुनिल कुमार प्रजापत द्वारा अवैध सिलेण्डरों को संग्रहीत रखने व द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(a)(b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा 08 गैस सिलेण्डर-मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा मौका फर्द रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में परिसर में मौजूद वैन पर जब्तशुदा अन्य 14 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस को रिलीज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में अवैध गैस रिफलिंग व भण्डारण के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करें। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि परिसर में मौजूद वैन में मिले 14 घरेलु गैस सिलेण्डरों को मूल दस्तावेज से मिलान कर पंजीकृत उपभोक्ता को नियमानुसार सूपूर्द करने की कार्यवाही अपने स्तर पर सुनिश्चित करें। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह जब्तशुदा अन्य 08 गैस सिलेण्डरों को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा दो इलेक्ट्रोनिक कांटा, 01 रिफलिंग में प्रयुक्त होने वाली मोटर मय पाईप को नीलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 27.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर